राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2223/2011/जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–द्वितीय, वृत–''अ'', जोधपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मेहता ऑप्टिशियंस,
स्टेशन रोड, जोधपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 12/12/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 128/आरवेट/जेयूए/09–10 में पारित आदेश दिनांक 07.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–'अ', जोधपुर (जिसे आगे **''कर निर्धारण अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **''अधिनियम''** कहा जायेगा) की धारा 17 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का कर निर्धारण किया जाकर उन पर मांग राशि का आरोपण कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर के समक्ष अपील किये जाने पर उन्होंने अपने आदेश दिनांक 13.11.1998 द्वारा आरोपित मांग राशि मय ब्याज राशि रूपये 7,556/– को अपास्त कर दिया, जिसका रिफण्ड दिनांक 26.05.2000 को जारी किया गया। उसके पश्चात् उक्त अवधि हेतु पारित आदेश दिनांक 19.11.2008 से उक्त विक्रय पर कर दायित्व हो जाने के कारण उक्त रिफण्ड की गई राशि पुनः वसूली योग्य हो गई। प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने आदेश दिनांक 07.03.2011 द्वारा वसूली योग्य राशि पर दिनांक 19.11.2008 से वसूली की दिनांक तक का ब्याज का आरोपण किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के निर्देशानुसार दिनांक 26.05.2000 को प्रत्यर्थी व्यवहारी को रिफण्ड जारी किया गया। परन्तु दिनांक 19.11.2008 द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी पर पुनः कर दायित्व निर्धारण हो जाने के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी पर मूल कर निर्धारण से ब्याज का आरोपण किया जाना चाहिए था। आगे उन्होनें कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं

लगातार.....2

सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी बाजवूद सूचना अनुपस्थित है तथापि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाता है।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये कर निर्धारण को अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 13.11.1998 द्वारा अपास्त कर दिया, जिसका रिफण्ड दिनांक 26.05.2000 को जारी किया गया। उसके पश्चात् उक्त अवधि हेतु पुनः पारित आदेश दिनांक 19.11.2008 से उक्त विक्रय पर कर दायित्व हो जाने के कारण उक्त रिफण्ड की गई राशि पुनः वसूली योग्य हो गई थी। इस पर अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.03.2011 द्वारा उक्त प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया, जिसकी पालना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 11.05.2011 को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया। अतः इस बिन्दु पर कर बोर्ड में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रही है। फलतः इन अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से **खारिज (Infructuous)** की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य